संख्या-254/2024/1866/41-2-2024-64(सा0)/2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2 महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 09 अक्टूबर, 2024**

विषयः-जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील-गोला के गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु शिव मंदिर के पास स्थित 19324.670 वर्ग मी0 नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1354/6-1-1/(लखीमपुर खीरी/भूमि क्रय)/ 2021-22 दिनांक 15.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील-गोला के गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु शिव मंदिर के पास स्थित 19324.670 वर्ग मी0 नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में से है, जो प्राचीन काल से ही प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से भारत के समृद्ध इतिहास को परिभाषित करते हैं। भारत में घरेलू पर्यटकों एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। गोला गोकर्णनाथ प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। यह अपने प्राचीन शिव मंदिर और चीनी मिल के लिये प्रसिद्ध है। गोला गोकर्णनाथ लखनऊ से लगभग 185 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। यह सड़क एवं रेल मार्ग से जुडा हुआ है।

3- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जनपद-लखीमपुर खीरी के तहसील-गोला के गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु शिव मंदिर के पास गाटा संख्या-364 रकबा-579.281 वर्ग मी0 श्रेणी-9 (2) नजूल भूमि, गाटा संख्या-368 रकबा-10045.389 वर्ग मी0 श्रेणी-9 (2) नजूल भूमि, गाटा संख्या-369 रकबा-7890.000 वर्ग मी0 श्रेणी-9(1) नजूल भूमि एवं गाटा संख्या-379

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

रकबा-810.000 वर्ग मी0 श्रेणी-9 (1) नजूल भूमि कुल क्षेत्रफल-19324.670 वर्ग मी0 का स्वामित्व पर्यटन विभाग को पर्यटन विकास हेतु निःशुल्क हस्तांतरित किया जाना है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील-गोला के गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु शिव मंदिर के पास स्थित 19324.670 वर्ग मी0 नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 01.10.2024 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील-गोला के गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु शिव मंदिर के पास गाटा संख्या-364 रकबा-579.281 वर्ग मी0 श्रेणी-9 (2) नजूल भूमि, गाटा संख्या-368 रकबा-10045.389 वर्ग मी0 श्रेणी-9 (2) नजूल भूमि, गाटा संख्या-369 रकबा-7890.000 वर्ग मी0 श्रेणी-9(1) नजूल भूमि एवं गाटा संख्या-379 रकबा-810.00 वर्ग मी0 श्रेणी-9 (1) नजूल भूमि कुल क्षेत्रफल-19324.670 वर्ग मी0 पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण किया जायेगा

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

5- प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

(1) गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु शिव मंदिर के पास की प्रस्तावित रकबा 19324.670 वर्गमी० भूमि सरकारी सम्पत्ति (नगर विकास विभाग) है। सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित नियमावली, 1987 के नियम-2 में यह व्यवस्था है कि राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग के प्रबन्धाधीन राजकीय भूमि का प्रबन्ध उस विभाग द्वारा उसी विभाग के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगा साथ ही राजस्व सम्बन्धी नियमों अधिनियमों मे दी गयी व्यवस्था का उल्लघंन न होने पाये।

(2) उक्त प्रस्तावित भूमि में से खाता सं0-128, गाटा संख्या-369 रकबा 0.789 हे० तथा 379 रकबा 0.081 हे० पर तालाब तीर्थ दर्ज है, के संबंध में वाटरबॉडीज से सम्बन्धित मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील सं0-60236/2001 'हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य, तथा सिविल अपील सं0-1132/2011 द्वारा एस०एल०पी० (सी) नं0-3109/2011 'जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य' में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) राजस्व परिषद की आख्या के अनुसार गाटा सं०-368 मि0 खतौनियों में अंकित रकबा प्रस्तावित रकबे से काफी कम एवं असमानता है तथा उक्त गाटे पर अध्यासित व्यक्ति भवन निर्मित कर रहे हैं। अतः उस पर अध्यासित व्यक्तियों/संस्थाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराने का दायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा।

(4) जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील-गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु शिव मंदिर के पास स्थित नगर विकास विभाग की 19324.670 वर्ग मी0 नजूल भूमि को पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरण/आवंटन की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
7- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
8- निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- उप निदेशक पर्यटन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।